।। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 05/2023 **GCMS NO 2023/47**

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. श्री महेशाराम पुत्र श्री अमराराम जाति जाट उम्र 50 साल 2. रेखाराम पुत्र श्री अमराराम जाति जाट उम्र 62 साल निवासी सिनावड़िया राजमथाई तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर।		1.श्री खरथाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति जाट 2. श्री जेठाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति जाट 3. मंगलाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सर्वे निवासी सिनावड़िया राजमथाई तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलसुण्ड जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार भणियाणा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/1215 दिनांक 19.11.2021 द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :

1. श्री किशनप्रताप सिंह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री अब्दुल रहमान मेहर अधिवक्ता रेस्पोडेंट 01 से 03 तक की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 18–11–2024**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मूलतः ग्राम सिनावड़िया राजमथाई तहसील फलसुण्ड का मूल निवासी है व रेस्पोंडण्टगण भी यही के मूल निवासी है। सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत् अपीलाण्ट के ग्राम राजमथाई में अपीलांट व रेस्पोडेंट ने हाजिर होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 53(2)(1) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् रजाबंदी व समझौते से खातेदारी भूमि का विभाजन करने का पेश किया कि ग्राम सिनावड़िया के खसरा नम्बर 804, 805, 806 में संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य संयुक्त होने से विभाजन किया जावें, जिस पर हल्का पटवारी ने प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार भणियाणा को प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार भणियाणा ने स्वीकार कर आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/1215 दिनांक 19.11.2021 तहत किया गया इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश विधि विधान न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल अपास्त योग्य है। दोनों अपीलांट अनपढ़ है, वृद्ध है, अंगुठा छाप है, जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेंट ने चालाकी व होशियारी से अंगूठे करवा लिये, प्रार्थना पत्र व नक्शा को पढकर, सुनाकर, समझाकर अंगूठे नही करायें, अपीलाण्टगण के साथ धोखा हुआ है। बंटवारा धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम में संबंधित तहसीलदार द्वारा फर्द मौका बंटवारा बनाया जाना मैडेटरी है, जबकि हस्तगत प्रकरण में फर्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

मौका हल्का पटवारी व आर आई द्वारा बनायी गयी है, जो मैडेटरी प्रावधानों की अवहेलना कर कार्यवाही व बंटवारा किया गया जो अवैध व नियम विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती योग्य है। वास्तविक मौके पर काबिज तरीके से मौका फर्द नहीं बनायी है, खसरा नंबर 2059/805 में खरताराम का कब्जा व हक वर्णित किया है जो गलत है यदि ऐसा मान लिया जावें तो रेखाराम का घर इसके अंदर आ गया है, जो वास्तविक मौका से मौका रिपोर्ट भिन्न बनायी है जो गलत व अस्वीकार्य है। खसरा नंबर 2054/806 में मंगलाराम का कब्जा हक दर्शित किया है जबकि वास्तविक मौका अंदर महेशाराम का घर व टांका अंदर आ गये है, ऐसे में वास्तविक मौका कब्जा से फर्द मौका भिन्न बनायी है, जो वास्तविक मौका से मौका रिपोर्ट भिन्न बनायी है जो गलत व अस्वीकार्य है। अपीलांट अनपढ़, अंगूठाछाप होने से बंटवारे की ऐसी कोई जानकारी रेस्पोडेंट गण ने नही करवायी, न ही प्रार्थना पत्र व फर्द नक्शा मौका बताया गया, न ही समझाया गया, केवल ग्राम पंचयात की मीटिंग में अंगूठे करवाये गये, किस बात के करवाये कोई जानकारी नही करवायी गयी, हल्का पटवारी से सॉठ गॉठ व मिलावट से अवैध व गैर कानूनी कार्यवाही अंदर ही अंदर की जिसकी अपीलांटगण को जानकारी नहीं रहीं। प्रथम बार जानकारी हल्का पटवारी से खेत की केसीसी करवाने के लिये नकले लेने गये तो दिनांक 10.10.2023 को हुई जिससे अपील पेश करने में देरी हुई है जो सद्भावी है माफी योग्य है जो माफ फरमायी जावें। अतः अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाकर, पुनः विधि सम्मत बंटवारा मौका अनुसार करने का आदेश फरमावें।

रेस्पोंडेंट ने जवाब में बताया कि अपीलाण्ट ने अपनी समझ व सहमति से प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नक्शा व प्रार्थना पत्र पढ व सुन समझ कर अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये जिसमें दो मौतबिरान गवाहान गिरधर पुरी व भुंगरे खान की उपस्थिति में हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करके होश हवास में अपनी रजामंदी दी जिससे उक्त बंटवारनामा का निर्णय पारित हुआ है। उक्त बंटवारनामा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, संबंधित अधिकारियों द्वारा फर्द मौका व बंटवारा बनाया गया है तथा अनिवार्य प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए आदेश पारित किया गया है। बंटरवारनामा दोनो पक्षों ने हाजिर होकर प्रशासन गांवों के संग शिविर में सैकेड़ों व्यक्तियों के बीच में स्वेच्छा से पेश किया गया है जिसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ है तथा सभी पक्षकारान अपीलाण्ट व अप्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त काबिज अनुसार बंटवारनाम का आदेश पारित हुआ है। खसरा संख्या 2059/805 में खरथाराम का मौके पर कब्जा काश्त व उसी अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त खसरा बंटवारनामा में सही रूप से दर्शाया गया है। रेखाराम का घर, खरथाराम के घर की भमि में नही आता है व अलग से रेखाराम के खेत के पास मौके अनुसार खसरा संख्या 2058/805 में कटी हुई ढाणी जो कि खेत के लगती हुई है व किसी भी पक्षकार के बंटवारनामें में रेखाराम की ढाणी को शामिल नहीं किया गया है मौके पर अलग से ढाणी रेखाराम के खातेदारी खेत के पास है तथा वास्तविक मौका रिपोर्ट से भिन्न अन्य कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई गई है। खसरा संख्या 805 व 806 पूर्व से ही तरमीमसुदा है तथा उसमें कोई परिवर्तन व संशोधन नही किया गया है तथा खसरा संख्या 2054/806 में मंगलाराम का खातेदारी खेत व ढाणी, टांका निर्मित है जो कि गत 40 वर्षो से काबिज काश्त है तथा महेशाराम का खातेदारी खेत खसरा संख्या 805 में है तथा खसरा संख्या 2051/806 में खेत आया हुआ है जो अप्रार्थी मंगलाराम के खेत से दो खेत छोड़कर दूरी पर है तथा मंगलाराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

के खेत से लगती सीमा में महेशाराम का खेत नहीं है। अपील लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद बिना किसी आधार व कारण से पेश की गई है जो माफी योग्य नहीं है तथा उक्त अपील तंग परेशान तथा खर्चे से जैर बाहर करने की गरज से पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से उक्त अपील काबिले निरस्ती योग्य है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से यथावत रखा जावें तथा अपीलाण्ट की अपील मय हर्जे–खर्चे खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाकर, पुनः विधि सम्मत बंटवारा मौका अनुसार करने आदेश फरमावें। रेस्पोंडेंट ने लिखित बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से यथावत रखा जावें तथा अपीलाण्ट की अपील मय हर्जे–खर्चे खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील से संबंधित सारगर्भित एवम् सुसंगत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। अपील के आधारों के संबंध में रेस्पोडेण्ट पैरोकार राज से प्राप्त अभिलेख पर मनन किया गया। प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा उभयपक्ष की उपस्थिति में हुआ है। सभी प्रार्थीगण एवं दो गवाह के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान मौजूद है जिसकी सरपंच द्वारा पहचान की गई। उभय पक्ष के मध्य हस्तगत पत्रावली में विवेचनाधीन अपील में वर्णित बंटवारा आदेश की वैधानिक स्थिति को लेकर कोई भिन्न मत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारणीय नही ठहरता है। अतऐव तहसीलदार भणियाणा का आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/1215 दिनांक 19.11.2021 में प्रार्थीगण कोई सारभूत अनियमितता सिद्ध नहीं कर पाया है।

अतः प्रार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर